झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1276 वर्ष 2017

हसिमुद्दीन अंसारी, पे0 असिरूद्दीन मियां, निवासी ग्राम–चरक पाथर,
डाकघर–कल्याणपुर, थाना–बरवाड्डा, जिला–धनबाद .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से जिनका कार्यालय धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद में है।
2. प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिनका कार्यालय धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद में है।
3. सचिव, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिनका कार्यालय धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद में है।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिनका कार्यालय धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद में है।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री सोमेश्वर रॉय, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री भवेश कुमार एवं रवि कुमार, अधिवक्तागण

02 / दिनांकः 06वीं मार्च, 2017

प्रमाथ पटनायक, न्याया0 के अनुसार

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याची को 24.01.1980 को दामोदर हेड वर्क्स जमाडोवा, धनबाद में कीटाणुनाशक के पद पर नियुक्त किया गया था। हालांकि, उन्होनें अपने कर्तव्यों का निर्वहन 25.06.2015 तक जारी रखा, जब उन्हें पत्र संख्या 74 दिनांक 25.06.2015 तामील किया कि सेवा रिकॉर्ड में दर्ज उनकी जन्म तिथि के अनुसार वह 30.04.2015 को पहले ही सेवानिवृत हो चुके हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि सेवानिवृति के बाद के बकाये का भुगतान नहीं किया गया है, हालांकि अनुलग्नक–3 के माध्यम से प्रतिवादी–माडा के समक्ष अभ्यावेदन किए गए हैं। वह 30.04.2015 से 25.06.2015 तक की अवधि के लिए वेतन का दावा भी करते हैं जब उन्हें 25.06.2015 की सेवानिवृति नोटिस दिया गया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि सेवा में बने रहने में याची की ओर से कोई जानबूझकर कार्य नहीं किया गया है और न ही उसने सेवा पुस्तिका में जन्मदिन तारीख के साथ छेड़छाड़ की है या कोई धोखाधड़ी या दुर्व्यपदेशन की है। यदि उसने प्राधिकारी की जानकारी में अपनी सेवानिवृति के बाद भी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन किया है और विभाग की संतुष्टि के अनुसार, तो उसे सेवानिवृति के तारीख के बाद के अवधि में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए वेतन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, इस आधार पर कि उसने उक्त अवधि के लिए काम किया है।

4. प्रतिवादी–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि सभी प्रासंगिक रिकॉर्डों के उचित सत्यापन के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृति के बाद के लाभ और

वेतन के किसी भी दावे से संबंधित याची की शिकायतों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता ने अपनी ओर से कोई धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुति नहीं की है, तो कानून के अनुसार उनकी सेवानिवृति की तारीख के बाद की अवधि के लिए उनके वेतन के दावे के संबंधप में एक उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।

5. पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, याचिकाकर्ता के दावे की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, रिट याचिका को निपटाया जाता है, याचिकाकर्ता को यह छूट देकर कि वह तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ नया अभ्यावेदन दे। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 कानून के अनुसार इस पर विचार करेगा और अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, उसके बाद के 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेगा, जिसे याची को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और वह सेवानिवृति की बकाया राशि और अन्य सेवा लाभों का बकाया कानूनी रूप से पाने का हकदार है, तो प्रतिवादी–एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार वैधानिक ब्याज के साथ इनका संवितरण किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत कर्मचारियों पर लागू है।

6. तदनुसार, रिट याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)